16.32} hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL\*

(Amendment of article 363)

भी यक्षपाल सिंह (देहरादून) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान के भनुच्छेद 368 में मागे संशोधन करने वालं मेरे विधेयक को पेश करने की मुझे मनुमति दी आय।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्वीयक्षपाल सिंहः मैं विश्वेयक को पेश करता हं।

## 16.33 hrs.

PARLIAMENT (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) AMEND-MENT BILL\*

(Amendment of section 3)

भी यशपोल सिंह (देहराडून) : मैं प्रस्तावकरताडूं कि संसद (प्रनहेता निवारण) भविनियम, 1959 में प्रागे संशोधन करने वाले मेरे विधेयक को पेश करने की प्रनमति दी जाय।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Parliament (Prevention of Disquilification) Act, 1958."

The motion was adopted.

भी मधापाल सिंह : मैं विश्वेयक को पेश करता हूं। 16.331 hrs.

INDIAN TELEGRAPH (AMEND-MENT) BILL<sup>•</sup>

(Amendment of section 5)

भी मझपाल सिंह (देहराष्ट्रन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय तारयन्त्र म्राधिनियम, 1885 में प्रागे संशोधन करने वाले मेरे विययक को पेश करने की मनूमति वी जाय ।

Mr. Deputy-Speaker: The questionis:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Telegraph Act, 1985."

The motion was adopted.

भी बद्दापाल सिंह : मैं इस विश्वेयक की पेश करता हं ।

16.34 hrs.

CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL\*

(Omission of section 80)

भी नाववाई (राजापुर) : मैं प्रायंता करताहूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में ग्रागे संगोधन करने वाले मेरे विधेयक को वेग करने की ग्रनुपति दी जाय ।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Civil Procedure, 1908."

The motion was adopted.

भी नामपाईं: मैं इस विधेयक को पेश करताईं।

\*Published in Gezefie of India Extra ordinary, Part II, Section 2, dated 7th April, 1967.